प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 26.11.2025

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल व 03 फोन के बरामद ।

आज दिनांक 26.11.2025 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त दीपक पुत्र यशपाल निवासी ई-73 बी 167 गोकुलपुरी, थाना गोकुलपुरी दिल्ली हाल पता एच ब्लाक मेन गेट के पास थाना विजयनगर, कमि0 गाजियाबाद को उत्सव भवन के पास आर्मीग्राउण्ड थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

दीपक पुत्र यशपाल निवासी ई-73 बी 167 गोकुलपुरी, थाना गोकुलपुरी दिल्ली हाल पता एच ब्लाक मेन गेट के पास थाना विजयनगर, कमि0 गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1. मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर DL5SCL0769 तथा इंजन नं0 HA10AHLHB51768
2. 03 मोबाईल।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं भीड़ भाड़ वाले इलाको से लोगो की जेब से उनके फोन चुरा लेता हूं तथा यह मोटर साईकिल भी मैने सरकारी अस्पताल से चोरी की थी। जिन्हे मैं बेचने की फिराक में घूम रहा था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त साहिल द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा- 69 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त महरूफ उर्फ साहिल पुत्र मौ0 इम्तियाज हाल निवासी चौहान बांगर गढी मेन्दू थाना जाफराबाद नॉर्थ ईस्ट

दिल्ली मूल पता जाफराबाद थाना जाफराबाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष को करावल नगर तिराहे के पास लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि पीड़िता से मेरी दोस्ती थी। मैंने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महरूफ उर्फ साहिल पुत्र मौ0 इम्तियाज हाल निवासी चौहान बांगर गढी मेन्दू थाना जाफराबाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मूल पता जाफराबाद थाना जाफराबाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया।

दिनांक 22.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त विपिन द्वारा वादी के पुत्र कुनाल को फोन करके अपने दुकान पर बुलाना तथा उसकी दुकान पर पूर्व से मौजूद राहुल, अमन व एक अन्य व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट करना तथा अभियुक्त राहुल द्वारा वादी के पुत्र के पेट में गोली मार देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 115(2)/109(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया जिसमें दिनांक 23.11.2025 को अभियुक्त विपिन वर्मा उर्फ विशू पुत्र मनोज वर्मा निवासी ए–249 पाल विहार विकास कुंज, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद व दिनांक 25.11.2025 को राहुल पुत्र विजय निवासी विकास कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 26.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अमित पांचाल पुत्र बृजपाल निवासी बलराज नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष 2.अमन प्रजापति पुत्र शीशपाल प्रजापति निवासी जवाहर नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि कुनाल राहुल की बहन के बारे में गलत बात बोलता था जिसको लेकर हमने कुनाल को पहले भी समझाया था जो समझाने के बावजूद भी नही मान रहा था फिर हमने साथ मिलकर कुनाल को सबक सिखाने की बात कही। दिनांक 21.11.2025 को हमने कुनाल को विपिन वर्मा की दुकान पर बुलवाया और उसके साथ मारपीट की फिर राहुल ने कुनाल के गोली मार दी और उसके बाद हम वहाँ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.अमित पांचाल पुत्र बृजपाल निवासी बलराज नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

2.अमन प्रजापति पुत्र शीशपाल प्रजापति निवासी जवाहर नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बिना अनुमति के बज रहा डीजे मय वाहन के बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 26.11.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. जयराज पुत्र संजय कुमार निवासी बी 77 गलीनं0 1 भागीरथी बिहार गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष व 2. मुकेश कुमार पुत्र बेनीवाल निवासी म0नं0 88 गली नं0 5 जगदम्बा कॉलोनी करावल नगर दिल्ली उम्र 40 वर्ष को भारत सिटी के पास से गिरफ्तार कर बिना अनुमति के बज रहा डीजे मय वाहन को जब्त कर सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जयराज व मुकेश कुमार उपरोक्त के विरुद्ध धारा 292 बीएनएस व 5/6 ध्वनि प्रदूषण के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त जयराज व मुकेश कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त शादियों/ पार्टियों की बुकिंग के हिसाब से डीजे की सुविधायें उपलब्ध कराते है तथा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बिना परमीशन डीजे बजाते है। इसीक्रम में आज भी भारत सिटी के पास डीजे बजा रहा थे कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. जयराज पुत्र संजय कुमार निवासी बी 77 गलीनं0 1 भागीरथी बिहार गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।
2. मुकेश कुमार पुत्र बेनीवाल निवासी म0नं0 88 गली नं0 5 जगदम्बा कॉलोनी करावल नगर दिल्ली उम्र 40 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त जयराज व मुकेश कुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर ध्वनि प्रदूषण का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:–

- बिना अनुमति के बज रहा डीजे मय वाहन के बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनाँक 25.11.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त चांद उर्फ चन्दा पुत्र नबाव अब्दुल रहीम निवासी म0न0 6125/126 ग्राउण्ड फ्लोर ब्लाक सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष को आनन्द बिहार बॉर्डर खण्डर के पास शराब का ठेका कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त चांद उर्फ चन्दा उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने दिनांक 15.01.2024 को Axis Bank के बहार वैशाली सेक्टर -5 से एक महिला से मोबाइल छीना था तथा दिनांक 22.01.2024 को अभियुक्त व उसके साथी आदिल उर्फ अंडा उपरोक्त को कौशाम्बी पुलिस द्वारा चोरी व स्नेंचिंग किये हुये 05 मोबाइल फोन व 6,900/- रूपये नगद व 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया था। अभियुक्त अपने साथी (गैंग लीडर) आदिल मलिक उर्फ अण्डा पुत्र अजहर मलिक निवासी म0नं0 134 जवाहर पार्क शहीद नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ मिलकर थाना क्षेत्र कौशाम्बी व आसपास के थानों तथा एनसीआर क्षेत्र में चोरी, लूट व स्नैचिंग जैसे संगीन अपराधों को कारित करके अनुचित आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने में संलिप्त रहता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

चांद उर्फ चन्दा पुत्र नबाव अब्दुल रहीम निवासी म0न0 6125/126 ग्राउण्ड फ्लोर ब्लाक सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त चांद उर्फ चन्दा पुत्र नबाव अब्दुल रहीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी लूट, स्नेंचिंग, चोरी का माल बरामद होने व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री रवेन्द्र सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी निवाड़ी द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) श्री वरुण त्यागी द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 2/3 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र मनवीर 2. सोनू पुत्र श्रीपाल 3. शैलेन्द्र उर्फ शैली पुत्र ब्रजपाल निवासीगण ग्राम प्रथमगढ थाना भोजपुर गाजियाबाद 4. कुलदीप पुत्र वीरपाल निवासी

ग्राम भाया थाना धौलाना जनपद हापुड़ को मा० विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-12, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 26.11.2025 को धारा 2/3 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में सभी अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगण को उक्त अभियोग के गैंगचार्ट में दर्शित हत्या के अभियोग में दिनांक 09.10.2025 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-9 गाजियाबाद द्वारा आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।

उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने एवं अपराध करने के उद्देश्य से हत्या, हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित करना जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन थाना प्रभारी भोजपुर/ वादी मुकदमा श्री रामेश्वर कुमार द्वारा दिनांक 15.01.2018 को थाना भोजपुर पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री वरुण त्यागी विशेष लोक अभियोजक(गैंगस्टर एक्ट)	**मु0आ0 दीन दयाल शर्मा** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 नेम सिंह** पैरोकार थाना भोजपुर

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **26.11.2025** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों

के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 26.11.2025 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	63
2.	ट्रांस हिण्डन	50
3.	ग्रामीण	82
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**195**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत कर रही है।

सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी व थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा यातायात जागरुकता माह के तहत सुंदरदीप ग्लोबल युनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित छात्र- छात्राओं को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरुक किया गया।

आज दिनांक 26.11.2025 को थाना वेवसिटी क्षेत्रान्तर्गत शैक्षणिक संस्थान सुंदरदीप ग्लोबल युनिवर्सिटी चौकी क्षेत्र डासना में श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय गाजियाबाद के निर्देशन में यातायात नियमों/सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री धवल जायसवाल, पुलिस उपायुक्त नगर तथा विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रियाश्री पाल, सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी उपस्थित रहे।

सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से छात्रों द्वारा **नुक्कड़ नाटक** का आयोजन किया गया। इस नाटक में कलाकारों ने रोचक संवादों और जीवंत अभिनय के माध्यम से यातायात नियमों का महत्व समझाया। नाटक में हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, गति सीमा का पालन करने तथा पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने जैसे संदेश दिए गए।

सड़क सुरक्षा के महत्व को जन-जन तक पहुँचाने और बच्चों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से **"यातायात सुरक्षा पेंटिंग प्रतियोगिता"** का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कलाकृतियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया।

सड़क सुरक्षा के महत्व को समाज में व्यापक रूप से प्रसारित करने के उद्देश्य **"यातायात सुरक्षा जागरूकता वाद-विवाद प्रतियोगिता"** का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।प्रतिभागियों ने यातायात नियमों का पालन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का महत्व, पैदल यात्री सुरक्षा, और जिम्मेदार ड्राइविंग जैसे मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

सभी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रर्दशन करने वाले छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया ।

कार्यक्रम के अंत में श्री आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एवं यातायात व श्री धवल जायसवाल, पुलिस उपायुक्त नगर ने छात्रों को संबोधित करते हुए यातायात सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। तथा बताया कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि **यह जीवन की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।** छात्रों से आग्रह किया कि वे हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें और सड़क पर अनुशासन बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी समाज में बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति है और यदि छात्र स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे तो समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का आधार है।
- हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
- ट्रैफिक सिग्नल और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पालन करें।
- छात्र समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरक भूमिका निभाएँ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था।

महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण एवं यातायात पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

थाना सिहानीगेट क्षेत्रान्तर्गत चौधरी छविलदास पब्लिक स्कूल, पटेल नगर, गाजियाबाद में आज दिनांक 26 नवम्बर 2025 को मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में श्री केशव कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्रीमती उपासना पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम भी उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों, सहायता तंत्र, हेल्पलाइन नंबर, त्वरित सहायता सेवाओं एवं शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, उन्होंने मिशन शक्ति अभियान के प्रमुख उद्देश्यों — महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना, सहायता उपलब्ध कराना, उन्हें समाज में सुरक्षित एवं सशक्त बनाना — पर प्रकाश डाला।

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन के महत्व पर भी जागरूक किया गया। विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनसमूह को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करने तथा मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन न चलाने के लिए प्रेरित किया गया।

अंत में, छात्र-छात्राओं ने महिला सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता विषय पर पोस्टर और भाषण प्रस्तुत किए तथा उपस्थित अधिकारियों ने उन्हें समानता व आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।